राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :–संस्था/चि0अ0/एटी/प035/15/310 दिनांकः– 30/04/15

–: आदेश :–

शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि. स्वा./ग्रुप–2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम–1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अर्न्तगत वॉक–एण्ड–इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थियों का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :–

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1.	बाडमेर	डॉ0 अशोक कुमार विश्नोई पुत्र श्री जयकिशन विश्नोई मालानी न्यूज एजेन्सी मैन स्टेशन धोरीमन्ना बाडमेर	10.07.88	OBC	M	मु0 चिकि. एवं स्वा0 अधिकारी बाडमेर के अधीन

शेष शर्ते शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि. स्वा./ग्रुप–2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को लेख है कि अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री, आर.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच करे तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यार्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है तो उनको कार्यग्रहण नही करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1) विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान,जयपुर।
3) संभागीय आयुक्त संबंधित।
4) जिला कलक्टर, संबंधित।
5) संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान, जयपुर।
6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सकों की कार्यग्रहण की सूचना मय पदस्थापन स्थान के तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाने का श्रम करे।
8) प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अवलोड करावें।
9) आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर